DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

20 August, 2024

भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि

संदर्भ: *वर्तमान में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है।*

प्रत्यर्पण संधि

- **संधि विवरण** : भारत और बांग्लादेश ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे भगोड़ों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए 2016 में संशोधित किया गया था।
- **उद्देश्य** : यह संधि सीमा पार सक्रिय विद्रोही समूहों और आतंकवादी संगठनों के भगोड़ों के मुद्दे को हल करने के लिए स्थापित की गई थी।
- **कार्यान्वयन** : इस संधि के तहत 2015 में बांग्लादेश से उल्फा नेता अनूप चेतिया का सफल प्रत्यर्पण हुआ। तब से, भारत और बांग्लादेश ने कई भगोड़ों का आदान-प्रदान किया है।

प्रमुख प्रावधान

- **प्रत्यर्पणीय अपराध:** इस संधि में वित्तीय अपराधों सहित कम से कम एक वर्ष की जेल की सजा मिलने वाले अपराध शामिल हैं। इसमें दोहरे अपराध का सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए।
- **अपराधों में भागीदारी:** प्रत्यर्पण योग्य अपराधों में शामिल या ऐसा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों का भी प्रत्यर्पण संभव है।

प्रत्यर्पण के अपवाद

- **राजनीतिक अपराध:** संधि के अनुसार अगर अपराध राजनीतिक है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। हालांकि, संधि राजनीतिक अपराधों को संकीर्ण रूप से परिभाषित करती है, जिसमें हत्या, आतंकवाद और संबंधित हिंसक कृत्यों जैसे अपराध शामिल नहीं हैं।

भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962

- **शासन कानून:** भारत से भगोड़ों का प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा शासित होता है।
- **प्रत्यर्पण आधार:** प्रत्यर्पण भारत और अन्य देशों के बीच संधियों के आधार पर हो सकता है। भारत की 39 देशों के साथ संधियाँ हैं।
- **उल्लेखनीय मामला:** अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत ऐसी शर्तों के तहत प्रत्यर्पित किया गया था कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूरोपीय कानूनों के अनुसार मृत्युदंड वाले देशों में प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया

- **सूचना स्रोत** : भगोड़ों के बारे में विवरण विदेशी देशों या इंटरपोल से प्राप्त होते हैं।
- **प्रक्रिया प्रवाह:** इंटरपोल की जानकारी सीबीआई को दी जाती है, जो फिर स्थानीय पुलिस विभागों और आव्रजन अधिकारियों को सूचित करती है।
- **कार्रवाई** : इनपर भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रत्यर्पण पर सामान्य प्रतिबंध

- **दोहरी आपराधिकता:** यदि अनुरोधकर्ता राज्य में कृत्य अपराध नहीं है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
- **राजनीतिक अपराध:** अधिकांश देश आतंकवादी और हिंसक अपराधों को छोड़कर राजनीतिक अपराधों के संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने से इनकार करते हैं।
- **सजा संबंधी चिंताएं:** यदि अभियुक्त को मृत्युदंड या यातना का सामना करना पड़ता है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
- **अधिकार क्षेत्र** : अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दों के कारण प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
- **संधि का अभाव:** यदि प्रत्यर्पण की कोई संधि नहीं है तो प्रत्यर्पण आगे नहीं बढ़ सकता।

हेफ़्लिक सीमा

संदर्भ *: बायोमेडिकल शोधकर्ता लियोनार्ड हेफ्लिक, जिन्होंने यह खोज की थी कि सामान्य दैहिक कोशिकाएं केवल सीमित संख्या में ही विभाजित हो सकती हैं, का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया।*

हेफ्लिक सीमा और खोज

- **अवधारणा** : हेफ्लिक सीमा से तात्पर्य उस संख्या से है, जितनी बार एक सामान्य दैहिक मानव कोशिका प्रतिकृति बंद होने से पहले विभाजित होती है, आमतौर पर 40 से 60 विभाजनों के बीच यह होता है।
- **खोज** : लियोनार्ड हेफ्लिक ने 1961 में विस्टार इंस्टीट्यूट में इस सीमा की पहचान की, जिससे एलेक्सिस कैरेल के कोशिका की अमरता (cell immortality) का पूर्व में किये गए दावे का खंडन हो गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **हेफ्लिक से पहले की मान्यताएँ:** एलेक्सिस कैरेल ने दावा किया था कि कोशिकाएँ अनंत काल तक प्रतिकृति बना सकती हैं। उनके परिणामों, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट्स को 34 वर्षों तक बढ़ते हुए दिखाया गया था, को बाद में त्रुटिपूर्ण माना गया।यह संभवतः प्रयोगात्मक त्रुटियों या ताजा स्टेम कोशिकाओं के उपयोग के कारण हुआ था।
- **हेफ्लिक के निष्कर्ष:** हेफ्लिक ने पाया कि लगभग 40 बार दोगुना होने के बाद कोशिकाएं जीर्णता प्रदर्शित करती हैं, यह निष्कर्ष आगे के प्रयोगों द्वारा समर्थित है तथा कैरेल के दावों का खंडन करता है।

प्रयोग और सत्यापन

- **प्रारंभिक अवलोकन:** हेफ्लिक ने लगभग 40 बार दोहरीकरण के बाद संवर्धन में धीमी कोशिका विभाजन और असामान्य कोशिका आकृति विज्ञान का उल्लेख किया है।
- **नियंत्रित प्रयोग:** हेफ्लिक ने पॉल मूरहेड के साथ मिलकर नर और मादा कोशिकाओं के मिश्रित संवर्धन का प्रयोग किया, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि कोशिका विभाजन का रुकना एक आंतरिक कारक था, न कि बाह्य।

कोशिका चरण और टेलोमेर लंबाई

- **कोशिका जीवन के चरण:**
  - **प्रथम चरण :** प्रारंभिक विकास।
  - **द्वितीय चरण:** प्रसार, या "समृद्ध विकास।"
  - **तृतीय चरण:** जीर्णता, जहां प्रतिकृतिकरण धीमा हो जाता है और बंद हो जाता है।
- **टेलोमेरेस** : हेफ्लिक सीमा टेलोमेरेस के छोटे होने से संबंधित है, जो सुरक्षात्मक गुणसूत्र सीमा हैं तथा प्रत्येक विभाजन के साथ कम होते जाते हैं, जिससे कोशिकीय जीर्णता होती है।

कैंसर कोशिकाएं और बुढ़ापा

- **कैंसर कोशिकाएं:** सामान्य कोशिकाओं के विपरीत, कैंसर कोशिकाएं अक्सर एंजाइम टेलोमेरेज़ के कारण अमर होती हैं, जो टेलोमेरेज़ को बढ़ाता है और असीमित प्रतिकृति की अनुमति देता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **उम्र बढ़ने पर प्रभाव:** हेफ्लिक की खोज ने कोशिकीय प्रतिकृति सीमाओं और जीवों की समग्र उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बीच संबंध का सुझाव दिया।

➢ **प्रजातियों की तुलना**

- **प्रतिकृति और जीवनकाल:** कोशिकीय प्रतिकृति क्षमता शरीर के द्रव्यमान की अपेक्षा किसी प्रजाति के जीवनकाल से अधिक सहसंबंधित हो सकती है, जो कोशिका विभाजन की सीमाओं और जीवों की उम्र बढ़ने के बीच संबंध को उजागर करती है।

वैकल्पिक निवेश कोष

संदर्भ: *हाल ही में सेबी ने घोषणा की है कि श्रेणी I और श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) अब परिचालन लचीलेपन के लिए उधार ले सकते हैं।*

➢ **वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) क्या है?**

- **परिभाषा** : एआईएफ एक निजी रूप से एकत्रित निवेश साधन है जो वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों जैसे निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी, हेज फंड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स में निवेश करता है।
- **निवेशक** : इसमें आमतौर पर उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति (एचएनडब्ल्यूआई) और संस्थान शामिल होते है, क्योंकि इसमें निवेश आमतौर पर पर्याप्त होता है।
- **विनियमन** : यह सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित होता है।
- **स्वरूप** : इसे ट्रस्ट, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है तथा कई पंजीकृत एआईएफ ट्रस्ट होते हैं।

➢ **भारत में एआईएफ के प्रकार**

- **श्रेणी I एआईएफ:**
  - **वेंचर कैपिटल फंड** : उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्ट-अप या प्रारंभिक चरण के उद्यमों में निवेश करते है।
  - **एसएमई फंड:** अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों को लक्ष्ययित करते है।
  - **सामाजिक उद्यम निधि:** सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे स्थिरता या स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते है।
  - **अवसंरचना निधि:** रेलवे, पुल और हवाई अड्डों जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करते है।
- **श्रेणी II एआईएफ:**
  - **निजी इक्विटी फंड** : गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करके उन्हें पूंजी जुटाने में मदद करते हैं।
  - **ऋण निधि:** बांड और डिबेंचर जैसे उपकरणों के माध्यम से गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते है।
  - **फंड ऑफ फंड्स:** सीधे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करने के बजाय अन्य एआईएफ के पोर्टफोलियो में निवेश करते है।
- **श्रेणी III एआईएफ:**
  - **पब्लिक इक्विटी फंड में निजी निवेश (पीआईपीई): यह फंड** अक्सर पूंजी जुटाने के प्रयासों के दौरान रियायती मूल्य पर सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में निवेश करते है।
  - **हेज फंड:** रिटर्न को अधिकतम करने के लिए शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्रेज और डेरिवेटिव जैसी जटिल रणनीतियों को अपनाएं जाते है।

➢ **एआईएफ में कौन निवेश कर सकता है?**

- **पात्रता** : भारतीय निवासी, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और विदेशी नागरिक।
- **संयुक्त निवेशक:** इसमें निवेशकों के पति/पत्नी, माता-पिता या बच्चों सहित, को अनुमति है।
- **न्यूनतम निवेश:** सामान्य निवेशकों के लिए 1 करोड़ रुपये; निदेशकों, कर्मचारियों और फंड प्रबंधकों के लिए 25 लाख रुपये।
- **लॉक-इन अवधि:** न्यूनतम तीन वर्ष।
- **निवेशक सीमा:** प्रति योजना अधिकतम 1,000 निवेशक; एंजल फंड के लिए 49 निवेशक।

➢ **एआईएफ में निवेश क्यों करें?**

- **उच्च रिटर्न की संभावना:** पारंपरिक निवेश की तुलना में इसमें उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकती है।
- **पोर्टफोलियो विविधीकरण:** यह वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलती है।
- **कम अस्थिरता:** इसमें शेयर बाजारों से कम सहसंबंध होता है, जिसके कारण इक्विटी या म्यूचुअल फंड की तुलना में संभावित रूप से कम अस्थिरता होती है।

➢ **एआईएफ कराधान**

- **श्रेणी I और II एआईएफ:** इसमें फंड स्तर पर आय कर-मुक्त है, लेकिन निवेशकों के लिए कर योग्य है जैसे कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेश किया हो।
- **श्रेणी III एआईएफ:** इसमें आय फंड स्तर पर कर योग्य है, जिसमें फंड संरचना (जैसे, कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट) के अनुसार कराधान अलग-अलग होता है। निवेशक लाभ पर कर का भुगतान नहीं करते हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान

हाल ही में, मुंबई में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) ने प्रगतिशील छात्र मंच (PSF-TISS) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, इसे "अनधिकृत और अवैध" करार दिया है।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के बारे में:

- टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) मुंबई में एक बहु-परिसर सार्वजनिक विश्वविद्यालय है।
- यह सामाजिक विज्ञान, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, स्वास्थ्य, अस्पताल प्रबंधन और सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर और उनकी रक्षा करके एक न्यायपूर्ण, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और लोगों पर केंद्रित समाज बनाना है।
- यह पेशेवर सामाजिक कार्य शिक्षा के लिए एशिया का सबसे पुराना संस्थान है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- इसकी स्थापना 1936 में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में की गई थी और 1944 में इसका आधिकारिक नाम बदल दिया गया।
- 1964 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया।
- 1954 में, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान देवनार, मुंबई (जिसे अब मुख्य परिसर के रूप में जाना जाता है) में एक स्थायी परिसर में स्थानांतरित हो गया।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) ने 2023 में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को भारत में 151-200 बैंड में और विश्वविद्यालयों में 98 वें स्थान पर रखा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) ने हाल ही में बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित बोर्डों के साथ वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों और बचे लोगों द्वारा लिए गए ऋणों को पूरी तरह से माफ करने का प्रस्ताव रखें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बारे में:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की स्थापना अप्रैल 1977 में एक शीर्ष अंतर-संस्थागत मंच के रूप में की गई थी, जिसे सभी राज्यों में एक समान आधार पर राज्य के बैंकिंग क्षेत्र के विकास का समन्वय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- यह मुख्य रूप से नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें बैंकों और सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी होती है।
- इसकी अध्यक्षता संयोजक बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) या कार्यकारी निदेशक करते हैं।
- इसकी बैठकों की सह-अध्यक्षता संबंधित राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव या विकास आयुक्त द्वारा की जाती है।
- इसमें वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के प्रमुख शामिल होते हैं।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठकों में भाग लेते हैं।
- इसकी बैठकें नीति कार्यान्वयन स्तर पर समन्वय समस्याओं पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं, जिसमें प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों की उच्च स्तर की भागीदारी होती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों ने पाया कि जुलाई की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति आधार प्रभावों के कारण 4% लक्ष्य से नीचे गिर गई, लेकिन अंतर्निहित खाद्य मूल्य दबाव बना रहा, जिसमें जून में 2.7% के बाद जुलाई में खाद्य मूल्य गति 2.5% रही।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बारे में:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), एक खुदरा मुद्रास्फीति एक सांख्यिकीय उपाय है जो समय के साथ घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर को मापता है।
- यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- इसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीति उपकरण के रूप में किया जाता है।
- इसका उपयोग समय के साथ भारतीय रुपये के मूल्य का आकलन करने के लिए भी किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- CPI की गणना करने का सूत्र है: CPI = (चालू वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की लागत / आधार वर्ष में उसी टोकरी की लागत) × 100।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), मासिक आधार पर ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए CPI डेटा को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

खबरों में व्यक्तित्व

जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन

जनरल एस. पद्मनाभन (5 दिसंबर, 1940- 18 अगस्त 2024)

जनरल एस. पद्मनाभन, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र, तिरुवनंतपुरम में पैदा हुए थे।

योगदान:

- जनरल एस. पद्मनाभन को भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक करने के बाद 13 दिसंबर, 1959 को आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया था।
- उन्होंने सितंबर 2000 से दिसंबर 2002 तक सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व किया।
- उन्होंने 1977 से 1980 तक गजाला माउंटेन रेजिमेंट का नेतृत्व किया।
- उन्होंने 1996 में उधमपुर में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने 2004 में सैन्य कथा उपन्यास राइटिंग ऑन द वॉल लिखा, जिसमें एक ऐसे परिदृश्य की पड़ताल की गई है जहां भारत चीन के साथ संबंधों में सुधार करते हुए पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध लड़ता है।

सम्मान और पुरस्कार:

जनरल पद्मनाभन को परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, सामान्य सेवा पदक, सियाचिन ग्लेशियर पदक, विशेष सेवा पदक, रक्षा पदक, संग्राम पदक, ऑपरेशन विजय पदक, सैन्य सेवा पदक आदि सहित कई प्रतिष्ठित पदकों से सम्मानित किया गया है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? – **पैतोंगटार्न शिनावात्रा**
- हाल ही में "17वां दिव्य कला मेला" कहाँ आयोजित किया गया? – **रायपुर**
- किस राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना" शुरू की? – **महाराष्ट्र**
- किस देश ने "तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट" की मेजबानी की? – **भारत**
- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-DSS) क्या है? – **भारतीय कृषि के लिए एक अद्वितीय डिजिटल भू-स्थानिक मंच**